

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 03.02.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-36/2026 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अनुज कुमार उर्फ लालू पुत्र स्व0 रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बनारअलीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-40/2026 धारा 64(2)क/62/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित (वाँछित) अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र राजू गौतम निवास नौरंगाबाद थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-313/2026 धारा 115(2)/352/108 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार, 2. नीरज कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासीगण चैनपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-23/2026 धारा धारा-137(2)/87/352/351(3)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित (वाँछित) अभियुक्त जयवीर पुत्र साहूकार निवासी ग्राम मोहर सिंह का पुरवा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-21/2026 धारा 65(1)137(2)/123/127(2)/115(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2) एससी/ एसटी एक्टसे सम्बन्धित (वाँछित) अभियुक्त विशाल पुत्र गोविन्द कश्यप निवासी ग्राम अगवासी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 18 वर्षको गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विपिन उर्फ साजन उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र दुलीचन्द निवासी ग्राम कर्ई थाना बर्गा जनपद कानपुर नगर उम्र 42 वर्ष, के कब्जे से 06 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 07/2026 धारा 08/20 एनटीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रनियां पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।